

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कोतवाली देवगांवगैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 27.09.2023 को अनिल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट बावत गैंग लीडर अभियुक्त सोनू जायसवाल पुत्र सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़ व गैंग के सदस्य बाले सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़, कुन्दन पुत्र दशरथ निवासी चोलापुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, फतेह बहादुर पुत्र शिवराज निवासी जोगापट्टी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़, रवि प्रकाश पुत्र राजबहादुर निवासी मसीरपुर थाना देवगाँव आजमगढ़, सुनीता यादव पत्नी राजेश यादव निवासी चैवार गोवर्धनपुर थाना देवगाँव आजमगढ़, सुनीता जायसवाल पत्नी सुनील जायसवाल निवासी नन्दापुर थाना देवगाँव आजमगढ़, अफरोज पुत्र कमालुद्दीन निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़, शेरू उर्फ नीरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी चैवार थाना देवगाँव आजमगढ़, महेश सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी कटघर लालगंज गोलाबाजार थाना देवगाँव आजमगढ़ के साथ एक संगठित गैंग बना लिया है। गैंग लीडर सोनू जायसवाल उपरोक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए वर्णित अपराधों को कारित करने का अभ्यस्थ अपराधी है, के आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट मय तहरीर प्रधान लेखक/सहायक लेखक अभियोग पंजीकृत करे थाना कार्यालय दाखिल किए दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 444/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बनाम 10 नफर पंजीकृत है। जिसकी विवेचना रूद्रभान पाण्डेय निरीक्षक अपराध थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्त महेश सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी कटघर लालगंज गोलाबाजार थाना देवगाँव आजमगढ़ को देवगाँव हाईवे मोलनापुर ब्रिज के नीचे से समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा पुनः प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मय हमराह के प्रस्थान कर अभियुक्त आफरोज पुत्र कमालुद्दीन सा0 कस्बा देवगाँव जनपद- आजमगढ़ उम्र- 28 वर्ष को अभियुक्त के घर के सामने से ही समय करीब 23.58 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 444/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट देवगाँव आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- अफरोज पुत्र कमालुद्दीन उम्र 28 वर्ष

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	22/23	457/380/382/411/413	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
2	32/23	457,380,382,411,413,	भा.द.वि. 4/25	आर्म्स एक्ट देवगाँव आजमगढ़
3	33/23	457,380,382,411,413,34	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
4	68/23	457,380,382,411,413,34	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
5	71/23	457,380,382,411,413,34	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
6	444/2023	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट		देवगाँव आजमगढ़

अपराधिक इतिहास - महेश सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर उम्र 26 वर्ष

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
1	22/23	457/380/382/411/413	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
2	32/23	457,380,382,411,413,	भा.द.वि. 4/25	आर्म्स एक्ट देवगाँव आजमगढ़
3	72/23	457,380,382,411,413,34	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
4	109/23	457, 380, 382, 411	भा.द.वि.	देवगाँव आजमगढ़
6	444/2023	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट		देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- महेश सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर निवासी कटघर लालगंज गोलाबाजार थाना देवगाँव आजमगढ़

2- आफरोज पुत्र कमालुद्दीन सा0 कस्बा देवगाँव जनपद- आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अनिल सिंह मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. हे0का0 अविनाश यादव थाना देवगाँव आजमगढ़
3. का0 अजीत पटेल थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना – अहरौला
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर अभियुक्त 1. जाकिर उर्फ सैफ पुत्र स्व० रफीक कुरैशी सा० कुरैशी टोला थाना अहरौला आजमगढ़ 2. आफताब कुरैशी पुत्र बेंचन उर्फ शमसुद्दीन सा० कुरैशी टोला वार्ड नं० 08 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. नजरे आलम उर्फ शेरू पुत्र जौवाद सा० राजापुर माफी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 4. इफ्तेखार पुत्र मुस्ताक सा० कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ आदि 09 नफर के विरुद्ध दिनांक 30.09.2023 को मु०अ०सं० 319/23 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि० अधि० 1986 थाना अहरौला में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर जाकिर उर्फ सैफ पुत्र स्व० रफीक कुरैशी सा० कुरैशी टोला थाना अहरौला आजमगढ़ है। इस गैंग द्वारा गोवंश तस्करी एवं गोवध परिवहन का अपराध कारित किया गया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध 1. मु०अ०सं० 236/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवा० अधि० व 429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. मु०अ०सं० 189/21 धारा 3/5/8 गोवध निवा० अधि० थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. मु०अ०सं० 81/23 धारा 3/5/8 गोवध निवा० अधि० थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पूर्व में भी पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.09.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे व व०उ०नि० पवन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त इफ्तेखार पुत्र मुस्ताक सा० कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ जो माहुल बाजार पर खड़ा है इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले मुखबिर के बताये अनुसार अभियुक्त इफ्तेखार उपरोक्त को माहुल बाजार से एकबारगी देकर समय करीब 21.45 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु०अ०सं० 319/23 धारा 3(1) उ० प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-इफ्तेखार पुत्र मुस्ताक सा० कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 195/2015 धारा 147/323/504 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 86/2016 धारा 302 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 189/2021 धारा 3/5/8 गो०नि०अधि० थाना अहरौला आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 318/2017 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि० अधि० 1986 थाना अहरौला आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 219/2013 धारा 3/5/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रूरता नि०अधि० थाना अहरौला आजमगढ़
6. मु०अ०सं० 236/2011 धारा 323/504/506/452 भादवि व 7 सी एल ए एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
7. मु०अ०सं० 241/2013 धारा 379/511 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
8. मु०अ०सं० 444/2012 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़
9. मु०अ०सं० 341/2013 धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे , व०उ०नि० पवन कुमार सिंह मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने का प्रयास करने वाला गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी मुकदमा की सूचना की दिनांक 29.09.2023 को शाम को वार्ड नं० 08 का निवासी सुनील कुमार सेठ पुत्र दीनदयाल सेठ वादी के भतीजे को अपने घर के छोटे बच्चे से बुलवाकर अपने मकान पर ले गये भतीजे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किये कि किसी तरह से हमारा भतीजा भाग निकला और घर वालों को घटना के बारे में बताया के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 416/23 धारा 377 IPC व 18 पाक्सो एक्ट बनाम सुनील कुमार सेठ पुत्र दीन दयाल सेठ सा० वार्ड नं० 8 कस्बा व थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ दर्ज कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण आज दिनांक 01.10.2023 को उ०नि० अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त सुनील कुमार सेठ पुत्र दीन दयाल सेठ सा० वार्ड नं० 8 कस्बा व थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर वार्ड नं० 8 कस्बा व थाना मेहनगर से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-सुनील कुमार सेठ पुत्र दीन दयाल सेठ सा० वार्ड नं० 8 कस्बा व थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 416/23 धारा 377 IPC व 18 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ०नि० अभिषेक सिंह मय हमराह थाना मेंहनगर आजमगढ़ ।

थाना- कोतवाली
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

1- पूर्व की घटना/इतिहास – वादी मुकदमा थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी की पुत्री को 01 बाल अपचारी द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर कहीं लेकर चला गया है, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 555/23 धारा 363/366 भादवि दर्ज किया गया। विवेचना प्रचलित है। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व धारा 3/4(2) पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक- 01.10.2023 को अकिक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को समय करीब 12.25 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 555/23 धारा 363/366/376 भादवि व 3 /4(2) पाक्सों एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 अकिक अहमद थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- कोतवाली
02 चोरी की मोटर साइकिल तथा अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 01.10.2023 उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह व स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1. विपिन कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 कैलाश नाथ प्रजापति साकिन फरैड रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 18 वर्ष, 2. परमानंद राजभर पुत्र परशुराम साकिन फरैड रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 20 वर्ष को नियमानुसार दिनांक 1.10.23 को समय 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा कब्जे से दो अवैध देशी तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी की दो मोटर साइकिल बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. विपिन कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 कैलाश नाथ प्रजापति साकिन फरैड रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 18 वर्ष ,

2. परमानंद राजभर पुत्र परशुराम साकिन फरैड रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 20

बरामदगी का विवरण:-

1-02 अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

2-हीरोहोण्डा सुपर स्प्लेण्डर व स्प्लेण्डर प्लस

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग मिलकर मोटर साइकिल की चोरी करते हैं तथा पकड़े जाने के डर से अपने पास असलहा रखते हैं यह मोटर साइकिल हमलोग बलिया व मऊ से चुराये हैं।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 560/23 धारा 411/420/467/468 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

02. हे0का0 धर्मेन्द्र, हे0का0 पवन कुमार, हे0का0 अमित सिंह, का0 अवनीश सिंह, का0 सुनील कुमार प्रजापति स्वाट टीम प्रथम आजमगढ़।

थाना देवगाँव
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 30.09.2023 को आवेदिका थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 28.09.2023 को आवेदिका की भान्जी उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्त प्रदुम्न द्वारा जबरजस्ती कहीं लेकर चले जाना तथा अभियुक्त के घर पूछने जाने पर अभियुक्त इन्द्रसेन द्वारा आवेदक को गाली गुप्ता देते हुये मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 448/2023 धारा 363/366/323/504/506 भादवि बनाम 1. प्रदुम्न पुत्र शीतला 2. इन्द्रसेन पुत्र रामहरक निवासीगण ग्राम कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 01.10.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रदुम्न पुत्र शीतला निवासी कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ को चकमोजनी पुलिया वाराणसी आजमगढ़ हाईवे से समय 13.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। मुकदमा उपोर्कत में धारा 363/366/323/506 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 448/2023 धारा 376,363,366,323,506 भादवि व 3/4 पाक्सों एक्ट थाना देवगाँव

गिरफ्तार अभियुक्त:- प्रदुम्न पुत्र शीतला निवासी कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- व0उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना-मुबारकपुर
धर्मपरिवर्तन कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना—

दिनांक 01.10.2023 को वादी मुकदमा कन्हैया लाल पुत्र पल्लूराम निवासी दाऊदपुर कुर्मी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि एक व्यक्ति द्वारा थाना मुबारकपुर क्षेत्र के देवरिया आयमा में कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके धर्मान्तरण कराया जा रहा है। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 474/23 धारा- 504,506 भा0द0वि0 व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिशोध अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 01.10.2023 को उ0नि0 रामकृष्ण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त छोटेलाल पुत्र लगन निवासी देवरिया आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 15.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त:-

छोटेलाल पुत्र लगन निवासी देवरिया आयमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 474/23 धारा- 504,506 भा0द0वि0 व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिशोध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- नील

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1- उ0नि0 रामकृष्ण सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
- 2-का0 अनिल राय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
- 3-का0 सदानन्द सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।